न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण :–

1. मोतीराम पुत्र गोविन्दराम
2. मूलीदेवी पत्नी सुखाराम
3. रामनिवास पुत्र सुखाराम
4. विमला पुत्री सुखाराम
5. दीनदयाल पुत्र
6. गीतादेवी पत्नी परसराम
7. सजना पुत्री परसाराम
8. वसुन्धरा पुत्री परसराम
9. नीतू पुत्री परसाराम
10. चेतन पुत्र परसाराम सभी जाति गुर्जर निवासी, देवगढ तह. परबतसर
11. रूपाराम पुत्र शिवकरण
12. लिखमाराम पुत्र गोविन्दराम सभी जाति गुर्जर निवासी देवगढ़ तह. परबतसर

बनाम

अप्रार्थीगण :

1 छोगाराम पुत्र मगनीराम जाति गुर्जर निवासी देवगढ परबतसर

2 छोटूराम पुत्र नानूराम जाति गुर्जर निवासी देवगढ परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री प्रहलादराम मिर्धा अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गजराज चोहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर :–2022/79 निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि ग्राम देवगढ़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 77 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.44 हैक्टर खसरा नम्बर 79 रकबा 0.65 हैक्टर चाही खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 81 रकबा 1.13, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.55 खसरा नम्बर 83 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.81 हैक्टर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.93 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 594/1 गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 594 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 594/2 रकबा 3.08, खसरा नम्बर 594/3 रकबा 3.16, खसरा नम्बर 594/4 रकबा 5.04 खसरा नम्बर 594/5 रकबा 4.06, खसरा नम्बर 594/6 रकबा 2.15 खसरा नम्बर 594/7 रकबा 4 बीघा किश्म बारानी कुल रकबा 30.10

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

बीघा है। उक्त जमीन बाबत एक वाद इस अदालत में छोगाराम बनाम भंवरलाल तथा बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नम्बर 66/2013 तथा इसी अनुवान का टी.आई प्रार्थना पत्र 71/2013 विचाराधीन है । प्रार्थीगण की ओर से वाद व टी.आई में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी छोगाराम खसरा नम्बर 594 लगायत 594/7 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये नम्बर 77 लगायत 84 रकबा 4.93 हैक्टर में से 1/4 हिस्से का बंटवारा मांगा। अप्रार्थी छोगाराम द्वारा टी.आई प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार हस्तानान्तरण नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। इसी जमीन बाबत् प्रार्थीगण ने खातेदारी घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 98/13 अनुवान भंवरलाल बनाम छोगाराम पेश किया तथा इसी अनुवान का टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 98/13 पेश किया। वाद संख्या 66/13 व 98/13 व टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 71/13 व 98/13 को धारा 10 सी.पी.सी के तहत संयोजित किया गया। इसके अलावा छोगा राम बनाम सुखराम तहत संयोजित किया गया। इसके अलावा छोगा राम बनाम सुखराम अवमानना याचिका संख्या 16/15 पेश हुई थी जो अप्रार्थी छोगा राम ने खारिज करवा ली। अप्रार्थी छोगाराम ने दिनांक 28.11.2016 के बयान में अपनी जिरह में प्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार किया तथा 07 बीघा जमीन वापस लेने का दावा किया जो अप्रार्थी छोगाराम की स्वीकारोक्ति है जो उच्चस्तरीय साक्ष्य है। अप्रार्थी छोगाराम ने बदनियती से जमीन का बेचान किया है। अप्रार्थी छोगाराम द्वारा काउण्टर क्लेम पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। टी.आई. पत्रावली बहस हेतु नियत है। प्रार्थीगण को टी.आई प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि अप्रार्थी छोगाराम ने प्रार्थीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। इसलिए बैचान करने का अप्रार्थी छोगाराम को कोई अधिकार नहीं है खरीददार छोटूराम को कब्जा नहीं मिला है खरीददार ताकत के बल पर नामान्तरण करवा कर आगे हस्तानान्तरण करना चाहता है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बर में रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की है।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया तो अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता गजराज चौहान द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 की 1/4 हिस्से की खातेदारी बनती है अप्रार्थी संख्या 1 ने टी. आई पत्रावली में स्वयं को पाबन्द नहीं किया। धारा 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र खारिज

उपखण्ड अधिकारी

फरमाया गया था। न्यायालय द्वारा सविवेकिय आदेश कर दोनों वाद व टी.आई पत्रावली को एक साथ नथी किया है। छोगाराम कर दोनों वाद व टी.आई पत्रावली को एक साथ नथी किया है। छोगाराम के बयानों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, तथा राजस्व कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के सिद्वान्त लागू नहीं होता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर विभाजन के बाद जमीन का अन्तरण किया है जिससे प्रार्थीगण के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। उक्त पैरे में प्रार्थीगण का अौीवचन अस्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 को अपने खातेदारी अधिकारों का बेचान किया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का हक व कब्जा है। जिससे प्रार्थीगण के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 2 को अन्तरिम किये है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जा सकता है। सहखातेदार को अपनी जमीन का अन्तरण करने का पूर्णतया अधिकारी है। जिसमें प्रार्थीगण को बोलने का हक नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त जमीन बाबत् तीसरा टी.आई प्रार्थना पत्र पेश किया है। पहले से दो टी. आई प्रार्थना पत्र बहस हेतू लंबित है। इसलिए उक्त टी.आई प्रार्थना पत्र चलने योग्य हनरीं है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि पहले से लंबित टी.आई पत्रावली के चलते नई टी. आई पत्रावली पेश नहीं की जा सकती। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पूर्व टी.आई प्रार्थना पत्र सीपीसी के प्रावधान के तहत विड्रोल किया जाकर नई टी.आई पेश कि जा सकती है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पूर्व टी.आई प्रार्थना पत्र सीपीसी के प्रावधान के तहत विड्रोल किया जाकर नई टी.आई पेश की जा सकती है। इसलिए टी.आई प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने सिविल कोर्ट में भी वाद व टी. आई पेश कर रखी है। प्रार्थीगण अनावश्यक व कानून के सिद्वान्तों के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है तथा मुकदमेंबाजी बढा रहे है प्रार्थीगण क्लीन हेन्ड से न्यायालय में नहीं आये है। जिससे प्रार्थीगण का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की टी.आई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोंकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। टी.आई प्रार्थना–पत्र में प्रथम दृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदू पाया जाना है। जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खसरा नम्बर 77 लगायत 84 जिसके पुराना नम्बर 594 लगायत 594/7 रकबा 4.9300 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी छोगाराम पुत्र मगनीराम 1/4

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

हिस्से का खातेदारी दर्ज है जो स्पष्ट है कि अप्रार्थी छोगाराम खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी छोगाराम द्वारा दिनांक 28.11.2016 के अपने बयान में जिरह के दौरान '' दो धणियों की 6–7 बीघा जमीन दबा रखी है जो लेना चाहते है, मैंनें दबी हुई जमीन को वापस लेने बाबत् दावा किया है।'' इस प्रकार के साक्ष्य देने के बयान है। अभी इस प्रकार गवाह के बयान का साक्ष्य मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जब तक सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं हो जाती तथा मूल वाद के निस्तारण के समय देखा जायेगा। दो समेकित राजस्व वाद जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीण की ओर से पेश है तथा टी.आई प्रार्थना पत्र भी अलग से पेश है। तृतीय टी.आई पार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है जबकि पूर्व टी.आई पत्र न तो खारिज करवाये गये तथा ना ही पूर्व टी.आई प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। टी.आई प्रार्थना–पत्र किसी कानूनी आधार पर पेश किया है जिस को प्रार्थीगण ने स्पष्ट किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल कोर्ट में भी अनुवान भंवरलाल बनाम छोगाराम से वाद संख्या 44/22 व टी.आई संख्या 21/22 पेश कि थी जो सिविल कोर्ट ने आदेश 07 नियम 10 सी.पी.सी के तहत प्रार्थीगण को वापस लौटा दिया था। यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के तहत जमीन का हस्तानान्तरण दिनांक 28.03.2022 को प्रतिफल लेकर किया था। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 सद्भाविक खरीददार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त जमीन पैतृक होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की जमीन में प्रार्थीगण का हक बनता हो। तृतीय टी.आई प्रार्थना–पत्र भी बिना किसी ठोस कानूनी आधार के पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदू अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाये। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य है।

अतः ग्राम देवगढ की जमीन खसरा नम्बर 77 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.44 हैक्टर खसरा नम्बर 79 रकबा 0.65 हैक्टर चाही खसरा नम्बर 80 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. कुआ खसरा नम्बर 81 रकबा 1.13, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.55 खसरा नम्बर 83 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.81 हैक्टर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.93 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 594/1 गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 594 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 594/2 रकबा 3.08, खसरा नम्बर 594/3 रकबा 3.16, खसरा नम्बर 594/4 रकबा

.04 खसरा नम्बर 594/5 रकबा 4.06, खसरा नम्बर 594/6 रकबा 2.15 खसरा नम्बर 94/7 रकबा 4 बीघा किश्म बारानी कुल रकबा 30.10 बीघा जमीन का अस्थाई निषेधाज्ञा ार्थना–पत्र को खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने से ्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.03.2022 प्रभावहीन हो गया है (निरस्त हो गया है)। त्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)